

व्यवहार न्यायालय , समस्तीपुर

नीलामी सूचना

व्यवहार न्यायालय , समस्तीपुर के निम्नांकित पूल कारों निष्प्रायोजित घोषित किया गया है एवं उक्त पूल कारों की नीलामी जिला न्यायाधीश, समस्तीपुर के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक ११-०३-२०१३ को ०४-३० बजे अपराह्न में व्यवहार न्यायालय समस्तीपुर के परिसर में की जायेगी । नीलामी में भाग लेने वाले बोलीकर्ता उक्त तिथि के ड्राफ्ट जमा करने की प्रक्रिया अपराह्न ०२-०० बजे से ०४-०० बजे के बीच अवश्य कर लें । कोई भी व्यक्ति गाडी का जिस हालत में जहाँ है किसी भी कार्य दिवस में बोली की तिथि से पूर्व आकर देख सकते हैं ।


प्रस्तावित गाडियों की सूची

क्रम	वाहन संख्या	वाहन का प्रकार	फ्लोर प्राइस	माडल
१	BR-33-6331	एमबेस्टर कार	12000/-	1996
२	BR-33-5215	एमबेस्टर कार	12000/-	1996
३	BPG - 5015	एमबेस्टर कार	10000/-	1987

इच्छुक बोलीकर्ता दिनांक ११-०३-२०१३ को निम्नलिखित शर्तों के अधीन डाक में भाग ले सकता है :-

शर्त :-

- १- नीलामी में भाग लेने के लिये बोलीकर्ता को जमानत के रूप में मो० २५००/- रू० (दो हजार पाँच सौ रू०) मात्र का बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स जो जिला न्यायाधीश , समस्तीपुर के पदनाम से समस्तीपुर में भुगतये होगा , साथ में लाना होगा ।
- २- प्रत्येक पूल कार के लिये अलग-अलग बैंक ड्राफ्ट / लाना होगा ।
- ३- असफल बोलीकर्ता (डाकवक्ता) का बैंक ड्राफ्ट बोली समाप्ति होने के बाद वापस कर दिया जायेगा तथा जिस व्यक्ति / प्रतिष्ठानों की बोली स्वीकार किया जायेगा उनके जमानत की राशि को डाक बोली की राशि में समायोजित कर लिया जायेगा ।
- ४- उच्चतम डाकवक्ता को २४ घंटे के अन्दर डाक बोली की सम्पूर्ण राशि जमा करना होगा । राशि जमा नहीं करने पर उनके जमानत की राशि को जब्त कर लिया जायेगा तथा दूसरे उच्चतम डाकवक्ता के साथ वाहन नीलाम कर दिया जायेगा ।
- ५- वाहन जहाँ है जिस हालत में है उसी हालत में उस जगह से तुरंत हटा लेना होगा ।
- ६- नीलामी को किसी भी समय रद्द करने एवं किसी शर्त को शिथिल करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा तथा किसी विवाद के निबटारा के लिये अधोहस्ताक्षरी सक्षम होंगे ।


जिला न्यायाधीश 21.2.13
समस्तीपुर